

-: कार्यवाही विवरण :-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की 9वीं बैठक, जो दिनांक 24 अप्रैल 2017 को प्रातः 11.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई थी, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए

1. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री मनोज भट्ट, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
3. श्री राजीव दासोत, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
4. श्री महेश भारद्वाज, अति.मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग, राजस्थान सरकार (प्रतिनिधि)
5. श्री सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
6. श्री श्रीराम अरूण, विज्ञानपुरी महानगर, लखनऊ (माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत)
7. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य, सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़, एसपीयूपी, जोधपुर
8. श्री बी.एल. मेहरा, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

श्री सौरभ श्रीवास्तव, **ADG Police, (Re-organisation)**, राजस्थान, जयपुर विशेष आमन्त्रण पर बैठक में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त बैठक की आवश्यक व्यवस्थाओं एवं बैठक के चर्चा बिन्दुओं से सम्बन्धित आवश्यक सहयोग एवं जानकारी तत्काल प्रदान करने हेतु, श्री मंगलाराम बिश्नोई वित्त नियन्त्रक, श्रीमती डिम्पल पवार आर्य उप-कुलसचिव, श्री हिमान्शु शर्मा निजी सचिव एवं श्री अरूण शर्मा, अनुभागाधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए।

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमती पूनम सक्सेना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य श्री श्रीराम अरूण का परिचय करवाते हुए, सदस्यमहानुभावों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)

दैज़ज़र, मथानिया रोड, जोधपुर (राज.)

बिन्दु संख्या-9/1- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की अष्टम् बैठक दिनांक 20 सितम्बर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय-9/1- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या-9/2- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 20 सितम्बर 2016 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।

निर्णय-9/2- प्रबन्ध बोर्ड की अष्टम् बैठक दिनांक 20 सितम्बर 2016 के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना-प्रतिवेदन का सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया एवं सदस्य महानुभावों द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करने के लिए कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

प्रोबेशन अवधि में विश्वविद्यालय के कुल 09 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कुल राशि रुपये 49,54,000/- का अधिक भुगतान हुआ है। चूंकि वेतन स्थिरीकरण के अन्य प्रकरण में विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों से, अधिक भुगतान की राशि रुपये 3,000/- प्रतिमाह वसूली की जा रही है। अतः कार्मिकों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए, पूर्व में की जा रही वसूली समाप्त होने के उपरान्त, उक्त सभी 09 कार्मिकों से यह वसूली प्रारम्भ की जावेगी।

बिन्दु संख्या-9/3- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम को, सत्र 2017 से आगे के लिए संचालित करने/संचालित नहीं करने के प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।

निर्णय-9/3- विश्वविद्यालय के नवस्थापित होने के फलस्वरूप, सीमित मात्रा में मूलभूत संसाधनों एवं आवश्यक शैक्षणेतर संकाय सदस्यों की नियुक्ति का अभाव होने के कारण तथा विश्वविद्यालय को क्षमता निर्माण (Capacity Building) की आवश्यकता होने के कारण, विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम 5 ईयर इंटिग्रेटेड कोर्स इन सोशियल साईन्स को, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए स्थगित करने तथा एक वर्ष उपरान्त उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में, पुनर्विचार करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-9/4- विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला की सूचना।

निर्णय-9/4- विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/विभागों द्वारा आयोजित किये गये सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशाला/कार्यक्रम की सूचना को अभिलिखित किया गया। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विशेष रूप से, विश्वविद्यालय के सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर द्वारा वर्षपर्यन्त आयोजित/संचालित किये गये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इस केन्द्र के सराहनीय कार्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रशस्ति-पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दार्ढिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)

दईज़र, मथानिया रोड, जोधपुर (राज.)

बिन्दु संख्या-9/5- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की ४वीं बैठक दिनांक 20 सितम्बर 2016 के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट।

निर्णय-9/5- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त संक्षिप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या अत्यन्त न्यून है। एतदर्थ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में SC/ST अभ्यर्थियों के ज्यादा-से-ज्यादा प्रवेश/भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, **Tribal Research Institute, Udaipur** के साथ सहभागिता स्थापित कर, दक्षिणी/पूर्वी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु, जनजातियों के TSP कार्यक्रमों के माध्यम से अभ्यर्थियों को जागरूक करने हेतु, विश्वविद्यालय के सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, जोधपुर के उप-निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री आलोक कुमार मीना को इस सम्बन्ध में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपने हेतु, कुलसचिव को निर्देश दिये गये।

बिन्दु संख्या-9/6- खेल मैदान एवं पार्किंग शेड के निर्माण में राशि रुपये 7.00 लाख व्यय किये जाने की पुष्टि।

निर्णय-9/6- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में छात्र-छात्राओं की खेल मैदान के विकास एवं वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग शेड के निर्माण बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव की, सर्वसम्मति से प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या-9/7- विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर शहर में संचालित किये जाने वाले सड़क सुरक्षा (Road Safety) केन्द्र के निदेशक (Director), केन्द्र समन्वयक (Center Coordinator) एवं केन्द्र सहायक (Secretariat Assistant) की सेवावधि अभिवृद्धि किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। साथ ही सभी सदस्यों द्वारा केन्द्र के निदेशक, केन्द्र समन्वयक एवं केन्द्र सहायक द्वारा जन-मानस को जागरूक करने हेतु, वर्षपर्यन्त आयोजित किये गये कार्यक्रमों एवं सम्पादित कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

निर्णय-9/7- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर शहर में संचालित किये जाने वाले सड़क सुरक्षा (Road Safety) केन्द्र के निदेशक (Director), केन्द्र समन्वयक (Center Coordinator) एवं केन्द्र सहायक (Secretariat Assistant) की सेवावधि अभिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। साथ ही सभी सदस्यों द्वारा केन्द्र के निदेशक, केन्द्र समन्वयक एवं केन्द्र सहायक द्वारा जन-मानस को जागरूक करने हेतु, वर्षपर्यन्त आयोजित किये गये कार्यक्रमों एवं सम्पादित कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दार्ढिक न्याय विश्वविद्यालय

(राजस्थान सरकार के राज्य विधानसभा कानून के तहत स्थापित)

दईज़र, मथानिया रोड, जोधपुर (राज.)

बिन्दु संख्या-9/8- श्री राजकुमार अरोड़ा, सह-आचार्य, एसपीयूपी, जोधपुर का पद परिवर्तन करने एवं प्रस्तुत किये गये विकल्पानुसार वेतन नियतन किये जाने के प्रकरण का अवलोकन एवं पुष्टि।

निर्णय-9/8- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा श्री राजकुमार अरोड़ा, सह-आचार्य, एसपीयूपी, जोधपुर का पद परिवर्तन करने एवं प्रस्तुत किये गये विकल्पानुसार वेतन नियतन किये जाने के प्रकरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई एवं श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य को 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त लाभ-परिलाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या-9/9- श्री आलोक कुमार मीणा, उप-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र, एसपीयूपी, जोधपुर की, इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त अवधिवृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में, राज्य सरकार (उच्च शिक्षा) को प्रेषित किये गये निवेदन-पत्र की सूचना

निर्णय-9/9- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या-9/10- विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर, कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेश जारी करने की स्वीकृति/पुष्टि पर विचार।

निर्णय-9/10- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्त कार्मिकों की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने पर कार्मिकों के नियमितीकरण के आदेशों की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या-9/11- विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष, वाहन चालक, प्लम्बर एवं विद्युतकर्मी के पद, संविदा आधार पर सुजित करने का प्रस्ताव, राज्य सरकार को भिजवाये जाने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय-9/11- विश्वविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये विभिन्न शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के पदों के अतिरिक्त सूचीबद्ध पदों की भी महती आवश्यकता को देखते हुए, उक्त पदों के संविदा आधार पर सृजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव, राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

बिन्दु संख्या-9/12- विश्वविद्यालय में NKN Project हेतु UTM क्रय करने की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय-9/12- नेटवर्क की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक उपयोगकर्ता की गतिविधियों को Log file में सुरक्षित करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वर्तमान में 500 ING Capacity का UTM क्रय करने का निर्णय लिया गया एवं भविष्य में आवश्यकता को देखते हुए UTM की Capacity को बढ़ाया जा सकता है।

एजेण्डा बिन्दु: 9/13- विश्वविद्यालय में संविदा आधार पर (ठेकेदार के माध्यम से) कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं वाहन चालक के मासिक मानदेय (**Honorarium**) में 10% की वृद्धि किये जाने के प्रकरण पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय-9/13- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा संविदा आधार पर (ठेकेदार के माध्यम से) गत तीन वर्षों से निरन्तर कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष एवं वाहन चालकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये उक्तानुसार एकमुश्त मासिक मानदेय राशि में, दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 10% की अभिवृद्धि करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करते हुए, संविदा आधार पर (ठेकेदार के माध्यम से) कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष, वाहन चालक, विद्युतकर्मी एवं प्लम्बर के मासिक मानदेय राशि का भुगतान, कार्यालय-व्यय (**Office Expences**) से किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु: 9/14- वाहन चालक अथवा अन्य संविदाकर्मी के 06 घन्टे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर, राशि रुपये 105/- विराम भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय-9/14- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत संविदाकर्मियों को, जोधपुर से बाहर विश्वविद्यालय के कार्य से यात्रा करने एवं 06 घन्टे से अधिक विराम करने पर राशि रुपये 105/- प्रतिदिन दैनिक भत्ते का भुगतान करने की सर्वसम्मति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

एजेण्डा बिन्दु: 9/15- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने हेतु, छात्रनिधि से अर्जुन क्लासेज़, जोधपुर को राशि रुपये 2.40/- लाख का भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

निर्णय-9/15- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा छात्रहित को देखते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली उप-निरीक्षक पुलिस परीक्षा -2016 में, विश्वविद्यालय के योग्य छात्र-छात्राओं को कोचिंग की सुविधा के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स अर्जुन क्लासेज़, जोधपुर को कोचिंग को किये गये कुल राशि रुपये 02.40 लाख के व्यय के कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए, भविष्य में भी, छात्रों के आवेदन करने पर, इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी/कोचिंग करवाने का सर्वसम्मति से सुझाव दिया गया।

-: टेबल एजेण्डा :-

टेबल एजेण्डा बिन्दु: 9/1- नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु

निर्णय-9/1- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, सूचीबद्ध नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को, सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु, निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, पाठ्यक्रमों में विद्या परिषद् के सुझावों को सम्मिलित करके, विद्या परिषद् के सदस्यों से **Circulation** द्वारा अनुमोदित कराया जाने के उपरान्त, पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

आसन को धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

2420
(बी.एल. मेहरा)
कुलसचिव

Dated: 01-5-17

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol-II/ ३४५-१८
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
5. माननीय कुलपति, एसपीयूपी, जोधपुर
6. श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADG Police, (Re-organisation), राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
8. अति.मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
9. श्रीमती पूनम सक्सेना, मा.कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. श्री सी.वी.आर. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
11. श्री श्रीराम अरूण, D 8, विज्ञानपुरी, महानगर, लखनऊ-226006
12. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य, सेन्टर फॉर सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़, एसपीयूपी, जयपुर
13. निजी सहायक, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

2420
कुलसचिव
एसपीयूपी, जोधपुर
01/05/17